न्यायालय परगनाधिकारी नगीना।

वाद सं0—टी20151316042 धारा—143ज0वि0अधि0
मौजा—गाजीपुर भगवान परगना—नगीना
आकाश कर्णवाल बनाम उ0प्र0सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही शिव चरेटेबिल ट्रस्ट मो0 बेगमसराय अफलजलगढ़ द्वारा ज्वाइण्ट मैनेजिग ट्रस्टी आकाश कर्णवाल पुत्र स्व0 श्री बुन्दूलाल कर्णवाल निवासी मो0 बेंगमसराय अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 ज0वि0अधि0 पर तहसीलदार नगीना द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनॉक 15—06 —2015 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार नगीना द्वारा अपनी आख्या दिनॉक 15—06—2015 में उल्लेख किया गया है कि मौजा ग्राम गाजीपुर भगवान परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 49 रकबा 3—293 हे0 में प्रार्थी/वादी का 1—394 हे0 मे से 1—012 हे0 शिव चरेटेबिल ट्रस्ट मो0 बेगमसराय अफलजलगढ़ द्वारा ज्वाइण्ट मैनेजिग ट्रस्टी आकाश कर्णवाल पुत्र स्व0 श्री बुन्दूलाल कर्णवाल निवासी मो0 बेंगमसराय अफजलगढ़ तहसील धामपुर जिला बिजनौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त आराजी पर मौके पर पेड़ व कृषि कार्य नही हो रहा है। वर्तमान समय में कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मछली पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। विवाद रहित है, मोके पर चिनाई का कार्य चल रहा है। अतः मौजा ग्राम गाजीपुर भगवान परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 49 रकबा 3—293 हे0 में प्रार्थी/वादी का 1—394 हे0 मे से 1—012 हे0 को उ0 प्र0 ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम नियम 135 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैने वादी एवं नामिका अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का भलि—भांति अवलोकन किया। वादी का कथन है कि मौके पर उक्त भूमि मे कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नही किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को उ0 प्र0 ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम नियम 135 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किया जावे। नामिका अधिवक्ता को उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

वादी एवं नामिका अधिवक्ता की बहस को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा ग्राम गाजीपुर भगवान परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 49 रकबा 3—293 हे0 में प्रार्थी/वादी का 1—394 हे0 मे से 1—012 हे0 भूमि कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन के प्रयोग मे नही आ रही है। अतः उक्त भूमि को उ0 प्र0 ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम नियम 135 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नगीना की आख्या दिनॉक 15—06—2015 मय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 ज0 वि0 अधि0 स्वीकार किये जाते है। मौजा ग्राम गाजीपुर भगवान परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता संख्या 15 के गाटा संख्या 49 रकबा 3—293 हे0 में से 1—012 हे0 को मुक्त करते हुए उ0प्र0 ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम 135 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति सबरजिस्ट्रार नगीना को भेजी जाये। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। इस न्यायालय की पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनॉकः— 09-07-15

(अजय कुमार तिवारी)
परगनाधिकारी नगीना

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय मे उद्घोषित किया

(अजय कुमार तिवारी)
परगनाधिकारी नगीना।

62
प्रार्थना-पत्र देने वाले का नाम श्री सत्य कुमार एडवो
प्रार्थना-पत्र देने का दिनांक 10-7-15
प्रतिलिपि बनाने का दिनांक 11-7-15
प्रतिलिपि देने का दिनांक 11-7-15
स्टाम्प शुल्क 7/-
11-7-15

30/-